डॉ. एस. सिद्धार्थ, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव
वित्त विभाग
बिहार सरकार

पुराना सचिवालय, पटना - 800 01
फोन : +91-612-2215805 (कार्या
फैक्स : +91-612-2217694
ई-मेल : finsecy-bih@nic.in

पत्र संख्या-एम-4-53/2007/8289/वि०, पटना, दिनांक-15/11/18

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष,
बिहार, पटना ।

विषयः- **केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में समानुपातिक राज्यांश राशि की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्कीमों की स्वीकृति की प्रक्रिया एवं शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में वित्त विभागीय संकल्प 3758 दिनांक-31.05.17 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। संकल्प की कंडिका 7 में प्रावधानित है कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों में उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि के समानुपातिक राशि विमुक्त करने के लिए प्रशासी विभाग सक्षम होगा ।

अतएव अनुरोध है कि वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में केन्द्रांश की प्रत्याशा में राज्यांश की राशि विमुक्त नहीं की जा सकती है बल्कि, केन्द्रांश की राशि उपलब्ध होने के उपरांत ही समानुपातिक राज्यांश की राशि विमुक्त की जायेगी । विशेष परिस्थिति में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में केन्द्रांश की प्रत्याशा में समानुपातिक राज्यांश राशि की विमुक्ति वित्त विभाग एवं मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरांत ही की जा सकेगी ।

अनुपूरक बजट के अन्तर्गत अतिरिक्त राशि का प्रावधान किसी नये स्कीम अथवा चालू स्कीम में राशि की आवश्यकता के आलोक में किया जाता है । इसलिए यह आवश्यक है कि अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रावधानित राशि का व्यय उसी स्कीम के केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में किया जाय न कि पुनर्विनियोग द्वारा किसी अन्य स्कीम में । उल्लेखनीय है कि बिहार बजट हस्तक, 2016 के अध्याय-6 की कंडिका 99 (ज०) के अनुसार अनुपूरक व्यय के उपबंध से प्रावधानित राशि के पुनर्विनियोग की अनुमति नहीं है ।

विश्वासभाजन,

(एस० सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव।